अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, बोकारो।

विविध अपील वाद संख्या......09.../2021–22

(वासुदेव ओझा बनाम् झारखण्ड सरकार एवं अन्य)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
12-08-2023	प्रस्तुत अपीलवाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास के न्यायालय का विविध वाद–05/2016–17 में पारित अंतिम आदेश दिनांक–22.10.2021 के विरूद्ध वासुदेव ओझा, पिता–स्व0 विन्देश्वर ओझा, सा0–रानीपोखर, थाना–हरला, जिला–बोकारो के द्वारा लाया गया है। विवादित भूमि चास अंचल अन्तर्गत मौजा–रानीपोखर, खाता नं0–453, प्लॉट नं0–5962, 5976, 5960, 5975, 5979, 5999, 6000, 6008, 6002, 6004, 6005, 6007, 6013, 6001 रकवा–15.96 एकड़ एवं खाता नं0–456, प्लॉट नं0–5971, 6006, 5972, 5961, 5973, 5974, 5977 रकवा–2.61 एकड़ दोनों खाता का कुल रकवा–18.57 एकड़ भूमि से संबंधित है। अपीलार्थी द्वारा अपने विद्वान् अधिवक्ता के माध्यम से भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास के द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध अपीलवाद दायर किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद स्वीकृत होने के बाद अपीलार्थी इस वाद में लगातार अनुपस्थित रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है। प्रतिपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। प्रतिपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता के लिखित अभिकंथन, प्रस्तुत तर्क, दाखिल किए गए कागजात/दस्तावेज एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चास द्वारा पारित अंतिम आदेश के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि निम्न न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास द्वारा विविध वाद--05/2016–17 में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत् अंतिम आदेश पारित किया गया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। अतः अपीलकर्त्ता की लगातार अनुपस्थिति, वाद में कोई अभिरूचि नहीं लेने एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित।** 12/8/23 अपर समाहर्त्ता, बोकारो। 12/8/23 अपर समाहर्त्ता, बोकारो।	

C. C. Issued Vide No. 5933 Dated 13/10/23

Digitally signed by MOHAMMAD MUMTAZ ANSARI
Date: 2024.12.30 12:25:53 +05:30
Location: 192.168.1.101